हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 14
24 July 2025

कोयला घोटालाः आरोपियों की संपत्ति अटैच करने के खिलाफ याचिका खारिज

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया सहित परिवार के लोगों की संपत्ति ईडी द्वारा अटैच करने को हाइकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सभी 10 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज दी है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में सभी पहलुओं पर लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, इस याचिका को कोर्ट ने लंबी कानूनी बहस के बाद खारिज कर दिया है। दरअसल ईडी रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मामले में सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 30 जनवरी 2025 को कुल मिलाकर 49.73 करोड़ रुपए मूल्य की 100 से अधिक चल-अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं। इसके सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाशा तिवारी, दिव्या तिवारी की भी संपति अटैच की गई है।